न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 99/2013

रामेश्वर पुत्र पूरणमल जाति ब्राहम्ण निवासी किशनपुरा तह0 मांगरोल जिला बारां

.....वादी

♠ बनाम ♠

01. गायत्री बाई पत्नि देवकीनंदन जाति ब्राहम्ण निवासी महावीर नगर तृतीय कोटा
02. श्रीमति राजबाला पत्नि सत्यप्रकाश जाति जाट निवासी मकान नं0 27 आर0 के0 नगर कोटा
03. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री कर्मवीर शर्मा

दायरा दिनांकः 23.09.2013 निर्णय दिनांक : 05.02.2018

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादी परिवार की पैतृक आराजी खाता संख्या 204 खसरा नं0 4152 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 4177 रकबा 5.88 है0, खसरा नं0 4179 रकबा 1.88 है0 कुल किता 3 रकबा 8.22 है0 आराजी माल मांगरोल में प्रतिवादी नं0 2 के दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजी पूर्व में कंचन बेवा प्रभुलाल जाति ब्राहम्ण निवासी किशनपुरा के खाते दर्ज रेकार्ड रही है। जिसे जर्ये दानपत्र प्रतिवादनी नं0 1 के खाते दर्ज किया गया है। तथा प्रतिवादनी नं0 1 द्वारा प्रतिवादनी नं0 2 को बेचान कर दी है। पारिवाकर सजरा निम्न प्रकार है:–

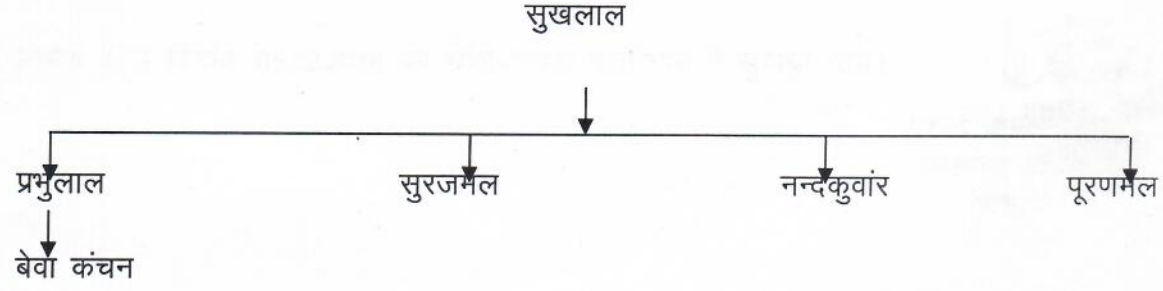

प्रभुलाल की मृत्यु के कारण सुखलाल द्वारा विवादित आराजी को बेवा कंचन के नाम इस शर्त के साथ मुताबिक इंतकाल नं0 3045 खाते दर्ज करवाया गया कि कंचन इस आराजी से अपना पालन पोषण जिन्दगी

किसी दूसरे को बैचान नही कर सकती। उसकी मृत्यु के पश्चात सूरजमल नन्दकिशोर व आराजी के हकदार होंगे। रामेश्वर पूरणमल का जायज पुत्र होने के कारण तथा खातेदार का पौत्र होने के कारण विवादित आराजी को स्वयं के नाम दर्ज करवाकर खातेदार घोषित का कानूनी अधिकारी है। अतः वाद स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नं0 1 व 2 को इस आशय की जारी की जावे कि पूर्व में दर्ज इन्तकाल नं0 613 दिनांक 14.06.2002 व इन्तकाल नं0 1243 दिनांक 25.05.2009 को अवैध व शून्य घोषित कर वादी को पैतृक आराजी पर खातेदार घोषित किया जावें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 29.09.2013 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 2 की और से कोई जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया है।

वकील वादी की बहस सुनी गयी वकील वादी ने मौखिक साक्ष्य में पीडल्ब्यू 1 वादी रामेश्वर व पीडल्ब्यू 2 राकेश चौपडा तथा पीडब्ल्यू 3 सत्यनारायण शर्मा के बयान करवाये। वकील वादी ने उन्ही तथ्यो को दोहराया है जो उन्होने अपने वाद पत्र में अंकित किये है। इन्तकाल नं0 613 दिनांक 14.06.2002 व इन्तकाल नं0 1243 दिनांक 25.05.2009 को अवैध व शून्य घोषित कर वादी को पैतृक आराजी पर खातेदार घोषित किया जावें। न्यायालय वादी के वकील से सहमत होते हुए वाद को स्वीकार करना न्यायोचित समझता है।

अतः वाद स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आराजी खाता संख्या 204 खसरा नं0 4152 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 4177 रकबा 5.88 है0, खसरा नं0 4179 रकबा 1.88 है0 कुल किता 3 रकबा 8.22 है0 आराजी माल मांगरोल में खोले गये इन्तकाल नं0 613 दिनांक 14.06.2002 व इन्तकाल नं0 1243 दिनांक 25.05.2009 को अवैध व शून्य घोषित कर वादी को पैतृक आराजी पर खातेदार घोषित किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05.02.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।